क्रम संख्या–198 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 330/XXXVI(3)/2015/62(1)/2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) खण्ड (कक) में—

(एक) शब्द ''यंत्र/उपकरण'' के स्थान पर शब्द ''कोई यंत्र या इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम या कोई अन्य उभरती हुई तत्समान तकनीक'' रख दिये जायेंगे:,

(दो) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

''स्पष्टीकरण:—

डिजिटल प्रोजैक्शन सिस्टम हार्डडिस्क के माध्यम से या सैटेलाईट के माध्यम से या अन्यथा डिजिटल प्रिन्ट डिलीवरी प्राप्त करके डिजिटल सिनेमा प्रदर्शन में प्रयुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का सैट है। ''

(ख) खण्ड (ककक) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:—

''वीडियो द्वारा प्रदर्शन'' से अभिप्रेत है वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा प्ले करे या रिप्ले करके पूर्व रिकार्डिड कैसेट पर सचल चित्रों या चित्रों के क्रम को, प्रवेश के लिए/अन्य किसी भी रूप में भुगतान प्राप्त करके, सार्वजनिक/अन्य किसी भी रूप में प्रदर्शन करना, पूर्व रिकार्डेड कैसेट या

अन्य कोई यंत्र या इलैक्ट्रोनिक डिजिटल प्रोजैक्शन सिस्टम या अन्य कोई उभरती हुई तत्समान तकनीक चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, चाहे उसका प्रदर्शन टेलीविजन सैट की स्क्रीन पर या वीडियो स्कोप या अन्यथा किया जाय:-

(ग) खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः संख्यांकित करते हुए खण्ड छ को निम्नवत् रख दिया जायेगा, अर्थात्

(छ) वीडियो का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसमें वीडियो कैसेट से या किसी अन्य युक्ति से, चाहे जो भी नाम हो, रिकॉर्ड करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 330/XXXVI(3)/2015/62(1)/2015
Dated Dehradun, November 17, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 2015'** (Adhiniyam Sankhya 20 of 2015).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 November, 2015.

THE UTTARAKHAND CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 20 of 2015)

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follow-

An
Act

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context in the State of Uttarakhand. It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Uttarakhand Cinemas (Regulation) **(AMENDMENT) ACT, 2015.**

(2) It shall extend to whole of the state of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once

Amendment of Section (2)

In section 2 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as applicable to the State of Uttarakhand) shall be substituted as follows: namely,

(a) In Clause (aa) :-

(i) for the words "any apparatus" the words "any apparatus or electronic digital projection system or any other emerging analogous technology shall be substituted.

(ii) the following explanation shall be inserted at the end, namely:-

Explanations – Digital projection system is a set of electronic apparatus used for digital cinema exhibition receiving digital print delivery through hard disc or through satellite or otherwise"

(b) Clause (aaa) shall be substituted as follows :-namely;

Exhibition by means of video means exhibition publicly to the public or in public on payment for admission/ or to take payment from public in any form, of moving pictures or series of pictures by playing or replaying and a pre-recorded cassette or any other device, by whatever name called by means of a video cassette player or any apparatus or electronic digital projection system or any other emerging analogous technology by whatever name called.

(c) Clause (g) shall be renamed as Clause (h) and Clause (g) shall be substiuted as follows: namely;

(g) Video "means any system by whatever name called, of recording on, or reproducing from video cassette or any other device by whatever name called or transmitting through any recording medium or directly the moving visual images with or without sound".

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

343/15

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का अधिनियमन चलचित्र–यंत्र या वीडियों के माध्यम से फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिये किया गया है।

2– सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति के फलस्वरूप प्राप्त मनोरंजन के आधुनिक साधनों को लाईसेन्स के परिक्षेत्र में लाकर उन्हें विनियमित करने और फिल्म/वीडियों चोरी की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–3 सन् 1956) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित विधेयक में राज्य के सिनेमाघरों में नई इलैक्ट्रोनिक प्रक्षेपण प्रणाली अपनाने के लिये प्राविधान किया जाना एवं केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा निजी/लोकल चैनल के प्रदर्शन को वीडियों द्वारा प्रदर्शन के अन्तर्गत लाये जाने के लिये प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

3– विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
वित्त मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 63 विधायी/681–2015–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।